

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3907/2024


दिनांक : 27-11.2024

श्री शैलेश जड़िया (RJ00489) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा) को दिनांक 25.09.2024 से 06.11.2024 तक 43 दिनों का उपाजित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री जड़िया की अनुपस्थिति में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-02, कोटा/अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/41/2005/ 9696

दिनांक : 27-11.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 17547 दिनांक 18.11.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री शैलेश जड़िया (RJ00489), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा)।
5. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-02, कोटा।
6. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा)।

  
सहायक रजिस्ट्रार